अभावों में रहने को मजबूर मदनमहल के विस्थापित

पैरवी

जबलपुर (मध्य प्रदेश) के मदनमहल क्षेत्र की बस्तियों के विस्थापितों से बातचीत और पुनर्वास स्थल के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट

अभावों में रहने को मजबूर मदनमहल के विस्थापित

जबलपुर (मध्य प्रदेश) के मदनमहल क्षेत्र की बस्तियों के विस्थापितों से बातचीत और पुनर्वास स्थल के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट

अभावों में रहने को मजबूर मदनमहल के विस्थापित

जबलपुर (मध्य प्रदेश) के मदनमहल क्षेत्र की बस्तियों के विस्थापितों से बातचीत और पुनर्वास स्थल के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट

जून 2019

संपादनः रजनीश साहिल
इनपुटः अवलोकन दल

सहयोगः नागरिक अधिकार मंच एवं भू-अधिकार आंदोलन, जबलपुर

प्रकाशक
पैरवी, नई दिल्ली
ई-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
फोनः 011-29841266, ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com, वैबसाइटः www.pairvi.org

विस्थापन एक भयावह त्रासदी है जिसकी छाया वर्षों तक विस्थापितों के साथ चलती है। विस्थापितों पर पड़ने वाला प्रभाव और विस्थापन का दर्द उन्हे तोड़ कर रख देता है। उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से ख़ुद को पुनर्स्थापित कर पाने की चुनौती ही सामने नहीं होती, बल्कि सामान्य बुनियादी सुविधाओं, ज़रूरतों सहित ख़ुद को ज़िन्दा रखने का सवाल सबसे पहले सामने होता है।

कुछ इसी तरह के दर्द से जूझ रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल पहाड़ियों के विस्थापित। मदन महल की पहाड़ियों से विस्थापित किए गए लगभग 12 सौ परिवारों को तिलहरी में बसाया जा रहा है जो कि बुनियादी सुविधाओं से रहित एक उजाड़ पहाड़ी क्षेत्र है।

शहर के निर्माण और विकास में शहरी ग़रीब, मेहनतकश वर्ग का बड़ा योगदान होता है। इनके बिना शहरी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तमाम मुश्किलों के साथ वर्षों से शहर के क्रमिक विकास का आधार यह वर्ग अपना गुज़ारा, अपना जीवनयापन उन दड़बेनुमा, बुनियादी सुविधाहीन बस्तियों में करता है जिसे लोग गन्दी बस्ती कहते हैं। यह वही वर्ग है जिसकी मेहनत से शहर स्वच्छ, सुन्दर, विकसित, हरा-भरा, ऊँची इमारतों, बाग़-बगीचों और रंग-बिरंगी रोशनियों से रोशन दिखते हैं।

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन्हीं मेहनतकश शहरी ग़रीबों की वर्षों की मेहनत से तिनका-तिनका जोड़ कर बनाए गए आशियानों पर जनवरी 2019 में जेसीबी के क्रूर पंजे का प्रहार हुआ और उन्हें उनके रहवास से लगभग 18 किलोमीटर दूर शहर के बाहर तिलहरी में कचरा ढोने वाली गाड़ियों से कचरे की तरह फेंक दिया गया।

जनवरी-फरवरी 2019 में मदन महल पहाड़ियों पर स्थित चौहानी, सूपाताल बस्तियों से विस्थापित कर तिलहरी में बसाए गए लोगों से हमने 14 से 16 जून 2019 को तिलहरी जाकर बातचीत की और स्थितियों का अवलोकन किया। इस बातचीत और अवलोकन में जो बातें सामने आई हैं वे न केवल इन विस्थापितों की मुश्किलों को बयान करती हैं, बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता को भी दिखाती हैं।

विस्थापन की पृष्ठभूमि

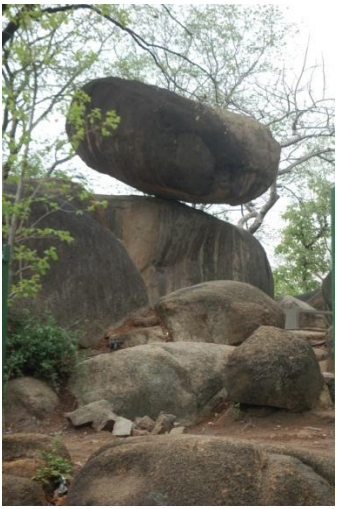

मदन महल पहाड़ियों के पुरातात्विक महत्त्व व गुरुत्व केन्द्र के अद्भुत उदाहरण बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण एवं हरित क्षेत्र में निर्माण/बसाहट को लेकर कुछ संस्था, संगठनों ने जनहित याचिका दायर की थी (डब्ल्यू.पी. नं. 11270/2012, 18902/2014, 5315/2015, 3456/2016 एवं 21887/2018), जिसे संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने समय-समय पर इन पहाड़ियों को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी आदेश प्रशासन को दिए थे। 9 अक्टूबर 2018 को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए आदेश के बाद प्रशासन ने मदन महल पहाड़ी पर हुए निर्माण को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी आदेश के चलते इन पहाड़ियों पर पिछले लगभग 50 वर्षों से रह रहे लोगों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाने की कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन ने मदनमहल पहाड़ियों पर अब तक 2100 निर्माणों को चिन्हित किया है, जिसमें से 1200 परिवारों को तिलहरी के पुनर्वास क्षेत्र में विस्थापित किया जा चुका है।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ विस्थापन का यह सिलसिला अब तक जारी है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम जिस तत्परता और मुस्तैदी से विस्थापन के इस कार्य को अंजाम दे रहे है वह काबिले-ग़ौर है और कई सवाल खड़े करता है, जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि लोगों के सामान्य से कार्यक्रम तो छोड़िए बेटी की शादी वाले घर को भी तोड़ने के लिए एक दिन की मोहलत नहीं दी गई, घर में जवान बेटे की लाश पड़ी थी और पुलिस वालों ने कहा कि जल्दी से रफ़ा-दफ़ा करो, और फिर शाम तक घर पर जेसीबी का क्रूर पंजा घूम गया।

मदन महल पहाड़ियों पर रहने वाले इन लोगों की आजीविका आसपास की आबादी से जुडी हुई है। घरेलू कामकाज, सब्जी-भाजी की दुकान, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो चलाना, राज मिस्त्री, मजदूरी या अन्य छोटे-मोटे काम से इनका घर चलता है। शहर में आसरे के लिए छोटा-मोटा छप्पर तान कर इन्होंने अपना सर छुपाने के लिए पहाड़ियों में जगह तलाशी और पनाह ली थी, जिसे धीरे-धीरे अपनी मेहनत से इन्होंने मजबूत और स्थायी ठिकाने के रूप में ढालना शुरू किया। घर पक्के होने लगे, छत पर सीमेंट, टीन की चादरें आईं। फिर शासकीय योजनाएँ भी इनकी बस्तियों में आने लगीं। पक्की सडकें, नल, बिजली, सामुदायिक केन्द्र, आंगनवाड़ी आदि इनकी बस्ती तक पहुँचे। जिस चीज ने इन्हें सबसे ज़्यादा आश्वस्त और चिंतामुक्त किया वह थे सरकार द्वारा दिए गए ३० साल के पट्टे। इन पट्टों ने सर पर छत की सुनिश्चितता उपलब्ध कराकर इन बस्तियों के लोगों को चिंतामुक्त कर दिया था लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के वज्रपात ने इनकी ज़िन्दगी तहस-नहस कर दी। अब ये विस्थापित पुनः शून्य पर आ गए हैं। 40-50 साल पहले शुरू की गई स्थायित्व की कवायद इन्हें फिर दोहरानी पड़ेगी।

ग़रीब हटे, अमीर नहीं

सूपाताल निवासी श्रीमती मंजू खरे कहती हैं- ''हमारा मकान 50 साल पुराना था। वहीं हमारी तीन पीढ़ियों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रशासन ने कुछ ही घंटों में हमारी गृहस्थी तोड़ कर बिखरा दी।''

देवताल निवासी राधेश्याम गुप्ता बताते हैं- ''हमारा मकान 1933 से उस स्थान पर बना था। 1933 में हमने स्वर्गीय रामप्यारे मालगुजार से अपने मकान की जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। हमारा मकान तोड़ दिया गया और हमें कहीं भी अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। रजिस्ट्री वाली जमीन के बदले अब हमें यहाँ पट्टे वाली जमीन दी जाएगी।''

यह बयान सिर्फ़ मंजू खरे का नहीं है, कई विस्थापितों का है। मुकेश द्विवेदी बताते हैं कि उनके व कई अन्य लोगों के पास 1998 के पट्टे हैं जो कि 2028 तक वैध हैं। यह तारीख़ पट्टे पर दर्ज है, लेकिन समय से पहले हम लोगों को हटा दिया गया।

इन विस्थापितों का कहना है कि चूँकि वे ग़रीब हैं इसलिए उनके साथ इस तरह से ज़्यादती की गई वरना जिनके पास पैसा है उनकी ईंट तक नहीं छुई प्रशासन ने। ग़ौरतलब है कि मदन महल की पहाड़ियों पर मौजूद ग़रीबों की बस्तियाँ तो हटाई जा रही हैं लेकिन हरित क्षेत्र में ही मौजूद और इन बस्तियों के बीच बने कुछ बड़े निर्माणों की एक ईंट भी अब तक नहीं हटाई गई है। राधेश्याम गुप्ता कहते हैं कि संरक्षित भूमि बताकर हमारे मकानों को तोड़ा गया लेकिन इसी स्थान पर चार मंजिला होटल सी-रॉक है, उसे नहीं तोड़ा गया जबकि वह होटल भी उसी संरक्षित भूमि पर है। संतोष गोस्वामी का कहना है कि मदनमहल पहाड़ी के बैलेंसिंग रॉक को हम गरीबों के रहने से ख़तरा है, जबकि हमारे घर सड़क के दूसरी ओर और काफी दूर थे, लेकिन उसी बैलेंसिग रॉक से बिलकुल सटे तक्षशिला महाविद्यालय और ज़ी लिटेरा के बड़े-बड़े कैंपस और ऊँची इमारतों से कोई ख़तरा नहीं है जहाँ आए दिन कोई न कोई निर्माण होता रहता है। इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? मुकेश द्विवेदी कहते हैं कि अगर हमारा घर अवैध है, अतिक्रमण है तो फिर यह होटल और दूसरे निर्माण वैध कैसे हो गए?

प्रशासन की संवेदनहीनता

लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया में प्रशासन का संवेदनहीन रवैया साफ़ नज़र आता है। यदि लोगों को समय रहते सूचित किया जाता तो संभव है कि वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते और किसी हद तक अपने रोजमर्रा के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के सफल प्रयास करते, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने उन्हें समय ही नहीं दिया।

तिलहरी के पुनर्वास क्षेत्र जोन-1 और जोन-2 में मौजूद यह विस्थापित बताते हैं कि अधिकांश लोगों को प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला जिससे कि हम पहले से इसके लिए तैयार होते। अधिकतर लोगों को एक दिन पहले ही घर खाली करने के लिए कहा गया और कईयों को तो सुबह कहा गया और शाम तक उनका घर तोड़ दिया गया।

मुकेश द्विवेदी कहते हैं- ''मेडिकल में मेरा रीढ़ की हड्डी का इलाज चल रहा है लेकिन उन्होंने हम लोगों को एक दिन की भी मोहलत नहीं दी और बेहद अमानवीय तरीके से घर तोड़ दिया।''

चौहानी निवासी मुन्नीबाई झारिया कहती हैं- ''एक फरवरी को हमारे बड़े बेटे सोनू (28 वर्ष) की मौत हो गई थी। हमारा पूरा परिवार दुःखी था। उसी समय नगर निगम के कर्मचारियों ने हमसे कहा कि लाश का अंतिम संस्कार जल्दी से करो हमें मकान तोड़ना है। जैसे ही मेरे बेटे की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया वैसे ही नगर निगम वालों ने मेरे मकान पर बुलडोजर चला दिया।''

पुनर्वास क्षेत्र में प्लॉट और पट्टे मिलने की प्रक्रिया संवेदनहीनता की एक और परत दिखाती है। तिलहरी के पुनर्वास जोन-1 और जोन-2 में बसाए गए सभी विस्थापितों, जिनसे हमने बात की, ने बताया कि किसको पट्टा मिलेगा, किसे नहीं यह निर्धारित करने के लिए भूतपूर्व कलेक्टर छवि भारद्वाज ने यहाँ आकर लोगों की झोंपड़ियों में रखे डिब्बे-कनस्तर चैक किए कि उनमें आटा-दाल-चावल है या नहीं। भूतपूर्व कलेक्टर का कहना था कि जिनकी झोंपड़ियों में खाने-पीने का सामान नहीं मिलेगा उन्हें पट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने-पीने का सामान न मिलने का मतलब है कि वे लोग वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन पट्टा पाने के लिए झोंपड़ी बना ली है।

यहाँ सवाल यह उठता है कि जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि मदन महन पहाड़ियों पर मौजूद अतिक्रमण को 'चिन्हित कर' हटाया जाए और प्रशासन ने कोर्ट में चिन्हित अतिक्रमणों की संख्या के बारे में भी बताया है तो क्या कलेक्टर महोदया के पास यह जानकारी नहीं थी कि किस-किस को मदनमहल की पहाड़ियों से तिलहरी में लाकर बसाया गया है जिन्हें पट्टा दिया जाना है?

कुछ बुजुर्गों ने यह भी बताया कि कलेक्टर महोदया का यह भी कहना था कि अगर झोंपड़ियों में सिर्फ बुजुर्ग रहते हैं और उनका बाकी परिवार शहर में रहता है तो इसका मतलब है कि वे मजबूरी या जरूरत की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ पट्टा और पैसा लेने के लिए यहाँ हैं। यह संवेदनहीनता और अविश्वास का एक और उदाहरण है। गौरतलब है कि जिस समय लोगों को विस्थापित किया गया था उस समय स्कूल-कॉलेजों की परीक्षाएँ समीप थीं और लोगों का रोज़गार भी शहर के बीच ही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर कुछ परिवारों ने शहर में ही कमरा किराये पर लिया ताकि कम से कम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो और आमदनी का भी कुछ इंतजाम होता रह सके। नतीजतन घर में जो बुजुर्ग थे वे पुनर्वास क्षेत्र में रहे, क्योंकि प्रशासन की ओर से कौन कब आ जाए इसकी कोई पूर्व सूचना तो होती नहीं है। बहरहाल, भूतपूर्व कलेक्टर की संवेदनहीनता का नतीजा यह हुआ कि कई लोगों को अपना रोज़गार छोड़कर पुनर्वास क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पुनर्वास क्षेत्र की बदहाली

पानी, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य वे न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जो एक मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन तिलहरी के पुनर्वास क्षेत्र में रहने वालों के लिए यह मूलभूत सुविधाएँ दैनिक जीवन का संघर्ष बन गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर प्रशासन ने मदन महल पहाड़ियों को पूरी मुस्तैदी के साथ अतिक्रमण मुक्त तो कराया लेकिन यह मुस्तैदी लोगों को विस्थापित करने तक ही सीमित रही, विस्थापितों की मुश्किलों, मूलभूत सुविधाओं और मौलिक अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

नहीं है सिर पर छाँव

सुग्गाबाई साहू, गंगावती बाई साहू व अमर कटारे बताते हैं कि उन्हें एक फरवरी 2019 को विस्थापित किया गया, जबकि सर्दी का मौसम जोरों पर था। यहाँ आकर पाँच दिन तक उन्हें बिना किसी सुविधा के खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। छठवें दिन प्रशासन की ओर से उन्हें 15 गुणा 30 फुट की जगह, 6 बल्ली, एक पन्नी और दो बंडल रस्सी दी गई, तब सिर पर छाँव का इंतज़ाम हो सका। यह इंतज़ाम भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। फरवरी से अब तक कई बार आँधी-तूफ़ान और बारिश हो चुकी है। प्रशासन की ओर से दी गई गई पन्नी इतनी कमज़ोर थी कि पहले ही आँधी-तूफान में वह फट गई, उसके बाद से ख़ुद से ही इंतज़ाम करना पड़ा। जिनकी हैसियत थी उन्होंने नई पन्नी ख़रीदी और जिनकी हैसियत नहीं थी उन्होंने अपने पास मौजूद साड़ियाँ बाँध कर छाँव की।

आमतीबाई चक्रवर्ती ने बताया कि 'जब भी बारिश होती है हमारी झोपड़ियों में पानी भर जाता है, जमीन और सामान तो भीगता ही है, हमारा खाना-रहना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क तो अब बनना शुरू हुई है वरना पूरा इलाका कीचड़ से भर जाता है और आए दिन साँप-बिच्छू जैसे ज़हरीले जानवर निकलते रहते हैं। अब तो बरसात आने वाली है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसे रहेंगे। जब हमें मदन महल से यहाँ लाया गया था तब कहा गया था कि यहाँ हमें एक प्लाट का पट्टा दिया जाएगा और घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा लेकिन पाँच महीने बीत गए। दो सप्ताह पहले नये कलेक्टर भरत यादव आए हैं। उनके आने के बाद लोगों को पट्टे मिलना शुरू हुए हैं, कुछ लोगों के खाते

में मकान वाले पैसे भी आ गए हैं। लेकिन बरसात सिर पर है, इतनी जल्दी मकान कैसे बन सकता है।'

कुछ लोगों को प्रशासन की ओर से नयी और मज़बूत तिरपाल भी मिली है। लोग बताते हैं कि दोबारा अच्छी पन्नियाँ मिलना भी नये कलेक्टर के आने के बाद शुरू हुआ है। अभी यह प्रक्रिया चालू है और रोज कुछ लोगों को नयी पन्नी मिल रही है। लेकिन इससे पहले पाँच महीने तक सभी ने जैसे-तैसे ही सिर पर छाँव की है।

अमर कटारे उन कुछ लोगों में से हैं जिनके बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त एक लाख रुपये आए हैं। उन्होंने बताया कि उनका बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उसमें आवास योजना का पैसा नहीं आ सकता और उस अकाउंट से 10,000 से ज़्यादा पैसे महीने में नहीं निकाल सकते इसलिए उन्हें दूसरा बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ा, तब जाकर उनके खाते में पैसे आए। अमर बताते हैं कि यहाँ जितने भी लोगों को पैसा मिला है उनमें से अधिकांश के ज़ीरो बैलेंस अकाउंट थे इसलिए उन्हें दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ा है। अमर यह भी कहते हैं कि यदि पट्टा और पैसे पहले मिल जाते तो अच्छा था क्योंकि अब बरसात सिर पर है और इतनी जल्दी एक कमरा भी जैसे-तैसे ही खड़ा कर सकते हैं और बरसात में तो वैसे ही काम नहीं हो पाएगा।

बिजली-पानी तो है लेकिन...

विस्थापितों ने बताया कि प्रशासन ने बिजली-पानी का इंतजाम जल्दी ही कर दिया था। विस्थापन के कुछ ही दिन बाद प्रशासन ने दोनों ज़ोन में पानी के लिए बोरिंग करा

दिये थे। बाद में धीरे-धीरे पाइपलाइन भी डाल दी थी। बोरिंग के पानी को लेकर लोगों की राय जुदा है। कुछ लोगों के मुताबिक बोरिंग का पानी ठीक है जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए तो पानी ठीक है लेकिन पीने के लिए नहीं। बोरिंग के अलावा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा भी किया जाना हमने पाया। सामान्यतः पानी की उपलब्धता को लेकर लोगों को कोई शिकायत नहीं है। गुणवत्ता को लेकर ज़रूर कुछ लोगों को शिकायत है।

पानी की ही तरह बिजली भी प्रशासन ने जल्द उपलब्ध करा दी है। हालाँकि लोगों को शिकायत है कि पानी और बिजली की जो व्यवस्था हमारे यहाँ आने के बाद हुई वह पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि यह पूरी तरह खुला इलाका है और जब तक बिजली का इंतज़ाम नहीं हुआ था तब तक रात के समय बहुत डर लगता था। लोगों का यह भी कहना है कि जब तक घर नहीं बन जाते तब तक बिजली होने का भी सिर्फ इतना फ़ायदा है कि रात को घुप्प अंधेरा नहीं होता, घरों में एक बल्ब जला सकते हैं बाकी तो इतनी गर्मी है लेकिन जब जगह ही नहीं है तो पंखा भी कहाँ लगाएँ। आँधी-तूफान में जिनकी झोंपड़ियाँ उजड़ गईं उनका कहना है कि जब घर ही नहीं बचा तो रोशनी कहाँ करें?

सड़क है भी, नहीं भी

तिलहरी में जिस जगह इन विस्थापितों को बसाया गया है, वह भी पेड़-पौधे रहित पहाड़ी क्षेत्र है जिसे समतल कर इन्हें रहने की जगह मुहैया कराई गई है। इस जगह

की मिट्टी ऐसी है कि थोड़ी बारिश होने पर कीचड़ में तब्दील हो जाती है और पैरों में इस हद तक चिपकती है कि चलना दूभर हो जाता है। जनवरी में लोगों को यहाँ पर बसाने की शुरुआत हुई थी और जून आने तक लोग इसी मुश्किल में रहे। जून में दोनों ही ज़ोन में सड़क बनाने की शुरुआत हुई है। ज़ोन-1 में कदरन पहले शुरुआत हुई है क्योंकि भ्रमण के दौरान हमने पाया कि ज़ोन-1 में पक्की सड़क बनने का कार्य प्रगति पर है लेकिन ज़ोन-2 में अभी तक केवल लाल मुरम ही सड़क के नाम पर बिछाई गई है।

पेट भरने की कीमत

इन विस्थापितों के पास राशन कार्ड भी हैं और अब तक जहाँ रहते थे वहाँ के पीडीएस केन्द्र से इन्हें राशन भी मिलता रहा है। लेकिन तिलहरी के पुनर्वास क्षेत्र में आने के बाद मई के अंत तक यह राशन प्राप्त करने में भी परेशानी झेलनी पड़ी है। इसके पीछे वजह यह कि इन्हें पुनर्वास क्षेत्र के नज़दीक ही राशन उपलब्ध हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। मई के अंत तक राशन लेने के लिए इन्हें अपने पूर्व आवास के राशन वितरण केन्द्र पर ही लगभग 18 किलोमीटर दूर जाना होता था और ज़ाहिर है कि इतनी दूर से राशन सिर पर ढो कर नहीं लाया जा सकता। लोग बताते हैं कि आने-जाने का साठ-सत्तर रुपया तो लगता ही था फिर ऑटो वाले सामान का अलग से इतना ही पैसा ले लेते थे। कभी-कभी यह भी होता था कि राशन लेने गए लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि उस दिन राशन नहीं मिल सकता। लोगों का कहना है कि नये कलेक्टर के आने के बाद उन्होंने यहाँ आकर हमारी समस्याएँ देखीं और कहा कि अब से राशन यहीं मिलेगा। उसके बाद से तिलहरी के ही वितरण केन्द्र से हमें राशन मिलना शुरू हुआ है।

फिर खुले में शौच को मजबूर

एक तरफ पूरे देश में स्वच्छता मिशन चल रहा है, खुले में शौच से मुक्ति के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन विस्थापितों को शौचालय छोड़कर खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ा है। लोग बताते हैं कि शुरुआत में तो कोई व्यवस्था नहीं हुई थी बाद में हर ज़ोन में दो-दो मोबाइल टॉयलेट लाकर खड़े कर दिए गए थे। बावजूद

इसके लोग खुले में शौच के लिए विवश हैं, जिससे ख़ास तौर से महिलाओं को काफ़ी परेशानी है। महिलाओं ने बताया कि ये शौचालय यहाँ लाकर तो रख दिया है

लेकिन कई-कई बार इसको हफ़्ते भर तक खाली और साफ नहीं किया जाता। यहीं भरा हुआ बदबू मारता खड़ा रहता है, मच्छर भी हो जाते हैं, मजबूरन हमें बाहर ही जाना पड़ता है। अगर रात में शौच के लिए जाना पड़े तो साँप-बिच्छू के अलावा और भी डर लगता है, यहाँ तो सभी तरह के लोग हैं।

सुरक्षा का अभाव

असुरक्षा सिर्फ रात में शौच की स्थिति तक ही सीमित नहीं है। यह पुनर्वास क्षेत्र शहर से अलग और दूर है, सुनसान भी है। लोगों ने और नगर की कुछ संस्थाओं ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन से यहाँ पुलिस की व्यवस्था करने की माँग की थी जिसका प्रशासन ने आश्वासन दिया था। लोग बताते हैं कि पुलिस आती तो है गश्त पर लेकिन रोज़ नहीं। हम लोग और हमारा सामान अभी भी एक तरह से खुले में ही पड़े हुए हैं। कुछ चोरी की घटनाएँ भी हो चुकी हैं लेकिन रात में यहाँ स्थायी रूप से भी कोई पुलिसकर्मी नहीं होता।

बारिश को लेकर महिलाओं में एक अलग असुरक्षा है। आमतीबाई चक्रवर्ती कहती हैं 'कलेक्टर साहब ने कहा है बरसात में हम लोगों का तिलहरी के सामुदायिक भवन में रहने का इंतजाम होगा, पर एक सामुदायिक भवन में हजार-बारह सौ परिवार कैसे आएंगे। यहाँ टूटी-फूटी जैसी भी है अपनी झोंपड़ी है, वहाँ तो एक हॉल में सब होंगे। घरों में बहू-बेटियाँ हैं, बस्ती में तो शराबी-कबाबी सब तरह के आदमी हैं, कुछ ऊँच-नीच हो गई तो क्या करेंगे?'

शिक्षा की राह में रोड़े

जनवरी-फरवरी में जब इन विस्थापितों को मदनमहल क्षेत्र से हटाया गया तब स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएँ समीप थीं। इस विस्थापन ने न केवल परीक्षा समय में छात्रों को पढ़ाई से दूर किया बल्कि कुछ छात्रों की पढ़ाई पर ही अस्थायी अंकुश लगा दिया है।

12वीं की छात्रा संजना कोरी कहती हैं कि 'इस विस्थापन के कारण मेरी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। 2 मार्च से मेरी परीक्षाएँ थीं लेकिन उस समय मैं पढ़ाई करने के बजाय अपने परिवार के साथ झोंपड़ी बना रही थी।' कृशिका गुप्ता को अपनी पढ़ाई छूट जाने का डर है। वह कहती हैं- 'मैं बी.एससी. की छात्रा हूँ और ओ.एफ.के. कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज पहले ही मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर था और अब मैं अपने घर से 15 किलोमीटर और दूर हूँ तो अब मेरा कॉलेज 37 किलोमीटर दूर है। अब तो घर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं अब कॉलेज जा पाऊँगी। मेरी पढ़ाई पूरी बर्बाद हो गई।'

पुनर्वास क्षेत्र के जोन-2 में हमारी मुलाकात राहुल से हुई, जो विस्थापित होने के बाद स्कूल ही नहीं गए और अपने पिता के साथ मिलकर पुनर्वास क्षेत्र में ही दूसरों की झोंपड़ियाँ बनाने के लिए मदद करते हैं। जब हमारी मुलाकात हुई तब वह अपनी खुद की झोंपड़ी के लिए पिता के साथ मिलकर गड्ढे खोद रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया तो उनका जवाब था- 'कैसे जाते? स्कूल दूर हो गया। और फिर रहने-खाने का इंतज़ाम करें कि स्कूल जाएँ?' राहुल अकेले नहीं हैं, पुनर्वास क्षेत्र में दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो विस्थापित होने के बाद से स्कूल नहीं गए हैं।

हालाँकि पुनर्वास क्षेत्र में शिक्षा बहाल रखने के बावत् अखबारों में एक ख़बर प्रकाशित हुई थी जिसके मुताबिक शिक्षा विभाग ने पुनर्वास क्षेत्र में ही कुछ

अभावों में रहने को मजबूर मदनमहल के विस्थापित

शिक्षकों की नियुक्ति की थी और दावा किया था कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन पुनर्वास क्षेत्र में रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ कभी कोई शिक्षक नहीं आया। वे कहते हैं कि सुना तो हमने भी था कि ऐसा होगा लेकिन एक भी दिन कहीं भी बच्चों की कक्षा लगते हमने नहीं देखी।

स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव

ख़बरों के मुताबिक पुनर्वास क्षेत्र में स्थायी कैम्प लगाया गया है जहाँ चिकित्सक और स्वास्थ्यर्मियों की नियमित ड्यूटी लगाई गई है और आंगनबाड़ी केन्द्र भी संचालित किए गए हैं।

स्वास्थ्य शिविर

पुनर्वास क्षेत्र ज़ोन-2 में हमें स्वास्थ्य शिविर भी मिला और वहाँ मौजूद एक ए.एन.एम. सुश्री अंजू आइज़क व मौजूद अन्य लोगों से हमने बात की। अंजू आइज़क ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कैम्प खुला रहता है और एक ए.एन.एम. व एक एम.पी.डब्ल्यू. पूरे समय वहाँ मौजूद रहते हैं। बरेला बी.एम.ओ. डॉ. जया श्रीवास्तव रोज़ सुबह और शाम को विज़िट करती हैं। कैम्प में मौजूद लोगों ने उनकी इस बात से सहमति जताई। सुश्री अंजू के अनुसार चूँकि बरेला अस्पताल में भी स्टाफ़ की कमी है और अभी प्रदेश में इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान भी चल रहा है इसलिए डॉक्टर का हर समय यहाँ मौजूद रहना संभव नहीं है, हाँ अगर मेडिकल से किसी चिकित्सक को भेज दिया जाए तो यह कमी पूरी हो सकती है।

पुनर्वास क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचार के लिए मौजूद संसाधनों/सुविधाओं के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा समस्या पानी जनित बीमारियों की है जैसे कि उल्टी, दस्त, खुजली और बुखार। उसके अलावा चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लू लगना, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएँ भी अभी ज़्यादा हैं। ख़ासकर बच्चे और बुज़ुर्ग इससे अधिक पीड़ित हैं। इलाज के लिए मौजूद सुविधाओं के बारे में वे कहती हैं कि इन सामान्य बीमारियों के लिए जिनमें लक्षण देखकर या मरीज के बताने पर हम दवा दे सकते हैं उनके लिए हमारे पास दवाएँ मौजूद हैं। हम लोग खुद से सर्वे भी कर रहे हैं और अगर कोई बीमार मिलता है तो उसका उपचार भी

करते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी नौबत आ जाए जिसमें जाँच की ज़रूरत है या बिना डॉक्टर के द्वारा जाँच किए हम दवा नहीं दे सकते तो उसके लिए हमें डॉक्टर की विजिट तक रुकना पड़ता है। स्थिति गंभीर हो तो हम मेडिकल रेफर करते हैं। कैम्प में हम छोटी-मोटी बीमारियों की ही दवा कर सकते हैं।

यह पूछने पर कि आपको और किन सुविधाओं की ज़रूरत महसूस होती है, अंजू कहती हैं कि ज़ोन-2 में अब तक के हमारे किये सर्वे के हिसाब से लगभग 2800 लोग हैं और लगभग इतने ही ज़ोन-1 में होंगे। आप देख ही रहे हैं कि तापमान 48 डिग्री तक पहुँच चुका है और लोग धूप में रहने को मजबूर हैं। इलाज करने की हमारी अपनी सीमाएँ हैं, हम डॉक्टर की बराबरी नहीं कर सकते। इतने लोगों की आबादी में डॉक्टर की ज़रूरत महसूस होती है। पिछली आँधी में हमारा कैम्प टूट गया, यह कैम्प भी किसी और की जगह में है। फिलहाल तो किसी को ग्लूकोज़ चढ़ाने में भी हम असमर्थ हैं। अगर कैम्प को थोड़ी और मज़बूती से, कुछ और बेसिक सुविधाएँ देकर स्थापित किया जाए तो हम भी और बेहतर सेवाएँ दे सकेंगे। एक एम्बुलेंस भी अगर मौजूद रहे तो गंभीर बीमारों को तुरंत मेडिकल भेजा जा सकता है, जिससे उनका ठीक समय पर इलाज शुरू हो सकेगा।

गर्मी व लू से मृत्यु

ज़ोन-1 व ज़ोन-2 में बातचीत करने के दौरान हमें यह भी पता चला कि बीमारी के चलते कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है।

मुन्नालाल केवट के छः माह के नाती धनराज पुत्र लखन केवट की 8 जून को लू लगने से मौत हो गई। मुन्नालाल केवट ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद उनसे मिलने आए थे साथ में छः माह का धनराज भी था। यहाँ आकर बच्चे को लू लग गई और वह बीमार हो गया। उस समय गर्मी अपने चरम पर थी जिसे बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका। पहले स्वास्थ्य कैंप से दवाई दिलवाई लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन बाद ये लोग बच्चे को लेकर नज़दीक के प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने मेडिकल ले जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेडिकल पहुँचकर बच्चे की मौत हो गई। मुन्नालाल बताते हैं कि बच्चे

को पहले प्राइवेट अस्पताल और फिर मेडिकल ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम उन्होंने खुद किया जिसमें समय लगा। वे कहते हैं कि अगर बच्चे को यहीं से मेडिकल रेफर कर दिया जाता और ऐंबुलेंस उपलब्ध होती तो शायद धनराज बच जाता।

72 वर्षीय जुगलकिशोर कोरी की 12 जून को मेडिकल में मृत्यु हो गई। जुगलकिशोर के दो बेटे हैं। बड़े बेटे कमलेश की उम्र 20 वर्ष है, वह मज़दूरी करते हैं। कमलेश ने बताया कि पिताजी कमज़ोर थे मेहनत का काम ज़्यादा नहीं कर पाते थे, इसलिए वे और उनका भाई बचपन से ही मेहनत-मज़दूरी करके घर चलाने में मदद करते हैं। वे कभी स्कूल नहीं गए। वे कहते हैं- 'यहाँ पिताजी को गर्मी लग गई थी, ज़्यादा चल-फिर भी नहीं पा रहे थे और खाना भी ठीक से नहीं खा रहे थे। हम दोनों भाई मज़दूरी के लिए गए हुए थे जब पिताजी की हालत ज़्यादा ख़राब हुई और पड़ोसी ने फोन करके हमें बताया। उन्हें तेज़ बुखार था। यहाँ आकर हमने कैंप वाली मैडम को बताया, उन्होंने पिताजी को देखा और फोन करके एंबुलेंस बुलवाई। दिन में लगभग चार बजे यहाँ से पिताजी को लेकर मेडिकल गए। रात भर वे अस्पताल में रहे और अगले दिन 12 जून को सुबह सात बजे पिताजी ख़त्म हो गए।'

कमलेश ने अस्पताल से ज़ारी हस्तलिखित मृत्यु प्रमाण-पत्र भी हमें दिखाया, जिसके मुताबिक जुगलकिशोर को 11 जून को रात 09:08 बजे अस्पताल में दाख़िल किया गया और 12 जून को सुबह 07:50 पर उनकी मौत हुई। अस्पताल में उनकी पीयूओ (पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन) जाँच हुई। प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण भी दर्ज है लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता कि डॉक्टरर्स की लिखावट पढ़ना आसान नहीं होता, उस कागज़ से हम वह कारण नहीं जान सके। कमलेश से पूछने पर कि डॉक्टर ने मौत का क्या कारण बताया, वह केवल इतना ही बता सके कि उन्हें बस इतना बताया गया कि बहुत तेज बुखार था और कुछ अंदरूनी बीमारी थी।

आँगनबाड़ी

पुनर्वास क्षेत्र के दोनों ही ज़ोन में आँगनबाड़ी केंद्र मौजूद थे। ज़ोन-2 में लोगों ने बताया कि यहाँ आँगनबाड़ी केंद्र जून में ही खुला है। इस बात का एहसास आँगनबाड़ी केंद्र को देखकर भी हो जाता है। ज़ोन-2 का आंगनबाड़ी केंद्र कदरन व्यवस्थित और सलामत पाया गया, जबकि ज़ोन-1 के आँगनबाड़ी केन्द्र का तम्बू पिछले आँधी-तूफ़ान में पूरी तरह उजड़ चुका है। ज़ोन-1 के केंद्र में पदस्थ आँगनबाड़ी कार्यकर्ता चंद्रकांता जी किसी दूसरे की छत के नीचे अपने घर से लाई साड़ियों की मदद से दीवार तानकर आँगनबाड़ी चला रही हैं। चंद्रकाता कहती हैं कि इतनी गर्मी में ठीक ढंग से धूप और गर्मी से बचाव के बिना हमारी ही हालत ख़राब है, ग्लूकोज़ पी-पी कर ख़ुद को बचाए हुए हैं तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होता होगा? बिना स्थाई छत और

व्यवस्था के आँगनबाड़ी चलाना मुश्किल है। वे कहती हैं कि अगर जल्दी ही कोई स्थायी इंतजाम नहीं किया गया तो बारिश में यह मुश्किल और बढ़ जाएगी।

यह स्पष्ट है कि जनवरी की कड़ाके की सर्दी से लेकर जून की चुभती गर्मी तक का समय सिर पर नाम मात्र की छाँव के इंतजाम में इन लोगों ने बिताया है। इस बीच कई बार बारिश और आँधी-तूफ़ान की मार भी झेली है। खुला पहाड़ी इलाका है जहाँ बेतहाशा मच्छर, कीट-पतंगे भी हैं और आए दिन ज़हरीले जानवर निकलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग बुखार, जल जनित रोगों से तो जूझ ही रहे हैं, कई अन्य बीमारियों के भी आसानी से शिकार हो सकते हैं, जिनके उपचार के लिए स्वास्थ्य कैम्प में सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ गर्भवती महिलाएँ भी हैं जिन्हें यदि आकस्मिक पीड़ा हो तो उन्हें तुरंत अस्पताल भी नहीं पहुँचाया जा सकता। पुनर्वास क्षेत्र में लोगों की संख्या और स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य सेवा की जो उपलब्धता होनी चाहिए, वह नहीं है। आँगनवाड़ी भी सुविधाविहीन हैं। दोनों ही ज़ोन में बच्चों के लिए मिड-डे मील की कोई व्यवस्था नहीं है।

नहीं रहा रोज़गार

इन विस्थापितों के सामने रोज़गार इस समय का एक बड़ा संकट है। कई लोगों का काम अपने आसपास के इलाके में था तो कईयों के रोजगार का साधन शहर के भीतर था। अब ये शहर से 18 किलोमीटर और मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं, जहाँ यातायात की कोई सुविधा नहीं है। मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए इन्हें पैदल जाना होता है, उसके बाद जब कोई वाहन मिलता है तब शहर तक पहुँच पाते हैं जहाँ कि ये अब तक काम करते आए हैं। इन विस्थापितों में एक बड़ी संख्या दिहाड़ी मज़दूरों की है, जो शहर के अलग-अलग लेबर चौक पर अपने लिए काम तलाश करते हैं। इसके लिए इन्हें सुबह-सुबह ही लेबर चौक पहुँचना होता है, जो तिलहरी आ जाने का बाद आसान नहीं रहा। जिनकी ज़िंदगी रोज़ कुँआ खोदकर पानी पीने जैसी है उनकी पीड़ा की गहनता महज़ दो पंक्तियों में सिमटी है। वे कहते हैं- '60 रुपये ख़र्च करके शहर काम की तलाश में जाते हैं और काम नहीं मिलता। आप ही सोचिए, हमारा गुज़ारा कैसे चल रहा होगा?'

शारदा चौर पर सब्जी का ठेला लगाने वाले राकेश जायसवाल (50 वर्ष) का कहना है- ''यहाँ आसपास कोई रोजगार नहीं है जिसके कारण मैं यहाँ से शारदा चौक जाकर सब्जी का ठेला लगाता हूँ।'' संदीप कटारे कहते हैं- ''मैं और मेरा भाई सेंटिंग का काम करते हैं। कभी-कभी मजदूरी भी करते हैं। जहाँ काम करते हैं वह जगह यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तिलहरी से वहाँ आने-जाने में ही 60 रुपये और आधा दिन चला जाता है। जब से यहाँ आए है काम का बहुत नुकसान है। आँधी-तूफान हो जाए तो कई बार काम पर भी नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ हमारे झोंपड़े उजड़ जाते हैं। ऐसे में घर संभालें या काम पर जाएँ?

संजय साहू बताते हैं कि वे किराये पर लेकर ऑटो चलाते थे। घर में चार सदस्य हैं। जब से नगर निगम वालों ने यहाँ फेंका है तब से वे काम पर नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी फिर कौन अधिकारी कब आ जाए पता नहीं, दूसरे वापस आने के शाम के बाद कोई साधन नहीं मिलता है। देर से आने के लिए रास्ता भी असुरक्षित है। वे बताते हैं कि 12 फरवरी को चौहानी से उन्हें विस्थापित किया गया था और ४ महीने तक वे बेरोज़गार रहे। इस दौरान उन्होंने 5 प्रतिशत ब्याज पर पैसा उधार लेकर अपना ख़र्च चलाया। एक सप्ताह पहले ही वे दोबारा अपना काम शुरू कर पाए हैं।

रास्ते की असुरक्षा को लेकर सभी विस्थापित चिंतित हैं। राकेश जायसवाल अपने साथ घटी एक घटना का ज़िक्र करते हुए बताते हैं- ''कुछ दिन पहले रात में 10 बजे लौटते समय छेवला गाँव के पास चार-पाँच लोग मेरे पीछे दौड़े। मैं उनसे बचने के लिए भागा और गिर गया। मेरे दोनों पैरों में चोट लग गई जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ग्वारीघाट से तिलहरी के बीच जो रास्ता है वह सुनसान होता है और वहाँ पर कुछ लोग लूट-पाट, मार-पीट करते हैं, इसलिए हम लोग शाम के बाद यहाँ से गुज़रना सुरक्षित महसूस नहीं करते। मेरे पैरों में चोट है, दो एक्स-रे करवा चुका हूँ लेकिन आराम नहीं है। काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी तो सबसे बड़ा संकट खाने-कमाने और परिवार चलाने का है।''

अब यह स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सुनसान रास्ते पर शाम के समय आने में जब पुरुषों को असुरक्षा महसूस होती है तो जो महिलाएँ शहरों में घरों में सहायिका का या अन्य कोई काम करती थीं वे कितना असुरक्षित महसूस करती होंगी। नतीजतन उन महिलाओं के हाथ से काम छिन गया है।

जहाँ कमाने वाला कोई नहीं

जिनके पास कमाई का कुछ ज़रिया था जब उनके सामने ही रोज़गार का संकट है, तब जयराम साहू के परिवार की मुश्किल और भी विकट है। जयराम साहू और उनकी पत्नी दोनों ही 50 *प्रतिशत विकलांग हैं। एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। इन लोगों की गुज़र-बसर मदनमहल पहाड़ियों के सामने स्थित एक मंदिर के बाहर बैठकर होती थी। प्रसाद और लोगों द्वारा दिया दान ही इनकी जीविका का साधन था। यह परिवार लगभग* 50 *साल से मदनमहल पहाड़ी पर रह रहा था और इनके पास भी* 1998 *का पट्टा है। तिलहरी में विस्थापित कर दिए जाने के बाद स्थिति यह है कि* 50 *प्रतिशत विकलांगता के कारण पति-पत्नी दोनों ही कोई काम कर नहीं सकते और मंदिर का सहारा भी छूट गया है, नतीजतन भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। दूसरे विस्थापित ही अब इनका सहारा हैं।*

लगभग सभी विस्थापितों ने रोज़गार न होने की परेशानी व्यक्त की। जब काम नहीं कर रहे तो फिर खर्चा कैसे चल रहा है? इसके जवाब में ये लोग कहते हैं- 'उधार लेकर काम चला रहे हैं।' अधिकांश लोग संजय साहू की तरह ही पाँच से सात प्रतिशत ब्याज दर पर पैसा उधार लेकर अपने ख़र्च का निर्वहन कर रहे हैं जो कि बेरोज़गारी के समय में दोहरी मार जैसा है।

50 वर्षीय गोमती बाई का भी यही कहना है। उनके पति राजमिस्त्री का काम करते हैं। वह कहती हैं- ''मदनमहल में रहते हुए लगभग 40 साल हो गए, लेकिन हमें वहाँ से हटा दिया गया। अब 5 महीने हो गए हैं, रोज़गार नहीं है। यहाँ आसपास कोई काम भी नहीं हैं। लोगों से माँग कर, उधार लेकर किसी तरीके से अब तक ख़र्च चलता रहा, लेकिन अब सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। भूखे मरने की नौबत आ गई है।''

अवलोकन दल की टिप्पणी

तिलहरी पुनर्वास क्षेत्र ज़ोन-1 और ज़ोन-2 की स्थितियों के अवलोकन और विस्थापितों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए आदेश के परिपालन में प्रशासन द्वारा मदनमहल पहाड़ियों को अतिक्रमणमुक्त कराने और वहाँ के निवासियों को विस्थापित करने का कार्य बिना किसी पूर्व तैयारी के आनन-फानन में नियम-कानूनों को ताक पर रख कर अंजाम दिया गया है जिसमें न तो पुनर्वास नीति का विचार किया गया न ही मानवीय संवेदना के न्यूनतम स्तर पर आकर विस्थापितों के बारे में विचार किया गया। सुबह सूचना देकर शाम तक घर तोड़ देना, जिस घर में परिवार के सदस्य की लाश रखी हो उसे एक दिन की मोहलत भी न देने जैसी घटनाएँ बताती हैं कि प्रशासन अमले ने बड़ी ही असंवेदनशीलता और बर्बरता से लोगों को विस्थापित किया है।

पुनर्वास क्षेत्र में जिन मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम पहले किया जाना चाहिए था, विस्थापन के पाँच महीने बाद उन सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। भूतपूर्व कलेक्टर सुश्री छवि भारद्वाज जिनके नेतृत्व में विस्थापन की यह कार्यवाही की गई, पाँच महीने में केवल दो बार पुनर्वास क्षेत्र में पहुँचीं और लोगों की परेशानियों को हल करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे विस्थापितों के मन में यह संशय तक उत्पन्न हो गया कि पता नहीं उन्हें यहाँ पट्टा मिलेगा या नहीं।

हालाँकि लगभग दो सप्ताह पहले आए नये कलेक्टर श्री भरत यादव के आने के बाद स्थितियों में तेजी से बदलाव आया है। श्री यादव दो सप्ताह में तीन बार पुनर्वास स्थल का भ्रमण कर चुके हैं और लोगों की राशन, बिजली, उजड़ी झोपड़ियों को ढंकने के लिए नयी मजबूत पन्नी की ज़रूरत जैसी समस्याओं को प्राथमिकता में लेकर उनके समाधान का प्रयास किया है। 15 गुणा 30 की जो ज़मीन इन विस्थापितों को दिए जाने का वादा किया गया था उसकी माप, पट्टे मिलना, भवन निर्माण के लिए आवास योजना के तहत पैसे का आबंटन और सड़क निर्माण के कार्य ने भी तेजी पकड़ी है। लेकिन विस्थापन के बाद से पाँच महीने तक इन विस्थापितों ने जिन मुश्किलों को झेला है और अब भी झेल रहे हैं उसके लिए प्रशासन को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

विस्थापन की इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन की संवेदनहीनता तो नज़र आती ही है पर हरित क्षेत्र के संरक्षण के आधार पर हुई इस कार्यवाही पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े होते हैं। एक सवाल तो यह कि जिस हरित क्षेत्र को बचाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय अतिक्रमण हटाने के आदेश समय-समय पर दिए हैं, उसी हरित क्षेत्र में तक्षशिला महाविद्यालय व ज़ी लिटेरा जैसे निजी शिक्षण संस्थान, सी-रॉक नामक होटल व कुछ अन्य निर्माण भी मौजूद हैं, इन पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है? ग़ौरतलब है कि होटल सी-रॉक से सटी दोनों ओर की बस्तियाँ ज़मींदोज़ कर दी गई हैं लेकिन होटल की एक ईंट भी अब तक नहीं हटाई गई है। यह शिक्षण संस्थान व होटल बिना किसी विघ्न ने अब भी बदस्तूर संचालित हो रहे हैं।

अन्य सवाल भी प्रशासन की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। सवाल है कि जब अक्टूबर 2018 में ही प्रशासन ने कोर्ट में चिन्हित अतिक्रमणों की संख्या के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर दी थी तो तीन महीने बाद जनवरी-फरवरी में घरों पर बुल्डोजर चलाने के पहले तक वहाँ के रहवासियों को समय रहते नोटिस क्यों नहीं दिया गया? सिर्फ़ कुछ लोगों को हफ़्ते भर पहले नोटिस देकर खानापूर्ति क्यों की गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोगों को पुनर्वास स्थल पर भेजने के पहले न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया?

विस्थापितों के अधिकारों के संबंध में एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि माननीय उच्च न्यायालय के समय-समय पर दिए गए आदेशों में मदनमहल पहाड़ियों

को अतिक्रमणमुक्त कराने और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने संबंधी बिंदुओं पर प्रशासन के लिए स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग मदनमहल पहाड़ियों से विस्थापित हुए और आगे होने वाले हैं उनके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

***

अवलोकन दल

रजनीश साहिल, पैरवी, दिल्ली
शिवकुमार चौधरी, नागरिक अधिकार मंच, जबलपुर
अजय सिंगौर, नागरिक अधिकार मंच, जबलपुर
सम्पत्ति देवी, नागरिक अधिकार मंच, जबलपुर
अनिल कर्णे, भू-अधिकार आंदोलन, जबलपुर

पैरवी, ई–46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
फोनः 011–29841266, ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com, वैबसाइटः www.pairvi.org